उत्तर प्रदेश शासन

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1

संख्या-14/2025/1045697/27-1001(001)/1/2025

लखनऊः दिनांकः 04 अगस्त, 2025

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 सिविल संवर्ग के श्री सोरण सिंह, मुख्य अभियन्ता (सिविल) स्तर-1 को प्रमुख अभियन्ता (सिविल) (पे मैट्रिक्स लेवल-15) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति आदेश विभिन्न मा0 न्यायालयों/मा0 अधिकरणों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

3- श्री सोरण सिंह की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निजी सचिव मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उ0प्र0।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन)/प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, उ0प्र0, लखनऊ।
11- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
12- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-5/6
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in